CSPTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN-U40108CT2003SGC015820 CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
GST No - 22AADCC5773E1ZX छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर
दूरभाष PHONE: 0771- 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174,
Web Site: www.sldccg.com email: ra.csldc@sldccg.com

No. 03-02/SLDC/ARR/ 2303 Raipur Date: 02 FEB 2024

आम–सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम, 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ संबंधित विषयक के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2021 तथा विद्युत अधिनियम 2003 सेक्शन 62 एवं 64 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप) एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका को याचिका (क्रमांक 06/2024(T)) के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वर्ष 2022–23, वर्ष 2024–25 एवं वर्ष 2024–25 के एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार का विवरण निम्नानुसार है: –

(सभी राशि करोड़ रूपये में)

कमांक	विवरण	राशि
1	माननीय आयोग के आदेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा अनुमोदित सत्र 2024–2025	22.21
2	वित्तिय वर्ष 2024–25 तक का लागत वहन करने के बाद वित्तिय वर्ष 2022–23 के आधिक्य का समायोजन	(1.75)
3	**वित्तिय वर्ष 2024–25 के लिए समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**20.46**
4	तंत्र संचालन शुल्क	16.36
5	अंतर्राज्यीय बाजार संचालन शुल्क	4.09
6	**कुल भार प्रेषण शुल्क**	**20.46**

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रू 100/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू. 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाईट www.cserc.gov.in तथा www.sldccg.com पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर (E-mail ID: cserc.sec.cg@nic.in) एवं/अथवा कार्यापालक निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु जन–सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। जन–सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

2/2/24

कार्यापालक निदेशक
राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रांस.कं.लि.,रायपुर